रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 908] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 9, 2018/फाल्गुन 18, 1939
No. 908] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 9, 2018/PHALGUNA 18, 1939

वस्त्र मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

का.आ. 1024(अ).—केंद्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करते हुए, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 (1987 का 10) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन ऐसी वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी अथवा उसका कुछ प्रतिशत आदेश में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उन पटसन पैकेजिंग सामग्री में आपूर्ति अथवा वितरण किए जाने के प्रयोजन से पैक किए जाने के लिए विनिर्दिष्ट करने के लिए सशक्त है;

और केंद्रीय सरकार ने उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पटसन सामग्री में पैकेजिंग के मानदंडों की सिफारिश करने के लिए का.आ. संख्यांक 255(अ), तारीख 27 जनवरी, 2016 द्वारा स्थायी सलाहकार समिति का गठन कर दिया है;

और केंद्रीय सरकार, स्थायी सलाहकार समिति द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात् इस बात से संतुष्ट है कि पटसन पैकिंग सामग्री में पैक किए जाने के लिए वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणियों अथवा उसके कुछ प्रतिशत को विनिर्दिष्ट करना, कच्चे पटसन और पटसन पैकेजिंग सामग्री के उत्पादन और इनके उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों के हित में अनिवार्य है;

अत: अब केंद्रीय सरकार, जूट पैकेज सामग्री (वस्तु पैकिंग अनिवार्य प्रयोग) अधिनियम, 1987 की धारा 16 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोगकरते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii), तारीख 14 जनवरी, 2016 में प्रकाशित का.आ.

संख्यांक 126(अ) को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह निदेश देती है कि नीचे दी गई अनुसूची के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट वस्तुएं उक्त अनुसूची के स्तंभ (3) की तत्स्थानी प्रविष्टियों में यथाविनिर्दिष्ट ऐसे न्यूनतम प्रतिशत में आपूर्ति और वितरण के लिए इस अधिसूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 30 जून, 2018 तक पटसन पैकिंग सामग्री में पैक की जाएगी, अर्थात्:-

अनुसूची

क्रम सं.	वस्तुएं	भारत में उत्पादित कच्चे पटसन से भारत में निर्मित पटसन पैकेजिंग सामग्री में पैक करने के लिए अपेक्षित वस्तुओं अथवा वस्तुओं की श्रेणी के कुल उत्पादन का प्रतिशत
1.	2.	3.
(i)	खाद्यान्न	उत्पादन का नब्बे प्रतिशत (90 %)
(ii)	चीनी	उत्पादन का बीस प्रतिशत (20 %)

पटसन थैलों के लिए संपूर्ण अपेक्षा के लिए मांग पत्र एकल अध्यपेक्षा में किया जाएगा और यदि पटसन मिलें अध्यपेक्षा के अनुसार पटसन के थैले प्रदान करने में समर्थ नहीं है, तब खाद्य और लोक वितरण विभाग पैकेजिंग सामग्री का 10 प्रतिशत तक क्षीणीकरण अनुज्ञात कर सकेगा ।

2. पटसन पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति की किसी कमी या लोप की दशा में अथवा कोई अन्य आकस्मिकता या अत्यावश्यकता की दशा में, वस्त्र मंत्रालय संबद्ध उपयोगकर्ता मंत्रालय के साथ परामर्श करके, उपरोक्त अनुसूची के स्तंभ (3) में विनिर्दिष्ट प्रतिशत के अधिकतम 30 प्रतिशत तक पैकेजिंग सामग्री के और क्षीणीकरण को अनुज्ञात कर सकेगा ।

3. पटसन पैकेजिंग सामग्री के आवश्यक उपयोग से निम्नलिखित मामलों में छूट प्रदान की जा सकेगी, अर्थात् :-

(क) निर्यात के लिए पैक की गई चीनी जो खाद्य और लोक वितरण विभाग द्वारा किए गए निर्धारण और सिफारिशों के आधार पर निर्यात नहीं की जा सकी थी;

(ख) विटामिन से पुष्ट चीनी;

(ग) निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की पैकिंग ;

(घ) खाद्यान्नों के लिए 10 कि.ग्रा. और उससे कम और चीनी के लिए 25 कि.ग्रा. और उससे कम के छोटे उपभोक्ता पैकेज;

(ड.) 100 कि.ग्रा. से अधिक थोक पैकिंग;और

(च) 10 कि. ग्रा. से अधिक मात्रा के उपभोक्ता एचडीपीई/पीपी पैकेट और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (2013 का 20) के अधीन वितरण के लिए 25 कि.ग्रा. तक खाद्यान्नों की पैकिंग, परंतु खाद्यान्नों की पैकिंग के लिए भारत सरकार द्वारा उपबंधित सहायिकी या प्रतिपूर्ति के अधीन निर्मित पटसन थैलों की तुलना में ऐसे थैले लागत प्रतिस्पर्धी हो ।

[फा. सं. 9/3/2017-पटसन]

पुष्पा सुब्रहयामण्यम, विशेष सचिव

MINISTRY OF TEXTILES

ORDER

New Delhi, the 9th March, 2018

S.O. 1024(E).—Whereas, the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packing Commodities) Act, 1987 (10 of 1987) (hereinafter referred to as the said Act) is empowered to specify the commodities or class of commodities or such percentage thereof to be packed for the purpose of its supply or distribution in such jute packaging material as may be specified in the order, considering the recommendations of the Standing Advisory Committee;

And, whereas, the Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 4 of the said Act, has constituted the Standing Advisory Committee *vide* number S.O. 255(E), dated the 27th January, 2016, to recommend the norms of packaging in jute material;

And, whereas, the Central Government, after considering the recommendations made to it by the Standing Advisory Committee, is satisfied that it is necessary in the interest of production of raw jute and jute packaging material, and of persons engaged in the production thereof, to specify the commodity or class of commodities and percentage thereof to be packed in jute packaging material.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 read with sub-section (1) of section 16 of the Jute Packaging Materials (Compulsory Use in Packaging Commodities) Act, 1987 and in supersession of order number S.O. 126(E), published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, Sub-section (ii), dated the 14th January, 2016, except as respect to things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby directs that the commodities specified in column (2) of the Schedule below, shall be packed in jute packaging material for supply or distribution, in such minimum percentage as specified in corresponding entries in column (3) of the said Schedule, with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette, up to 30th June, 2018, namely:-

SCHEDULE

Sl. No.	Commodities	Minimum percentage of total production of commodity or class of commodities required to be packed in jute packaging material manufactured in India from raw jute produced in India
(1)	(2)	(3)
(i)	Foodgrains	***Ninety per cent. (90%) of the production**
(ii)	Sugar	**Twenty per cent. (20%) of the production**

* The indent for the whole requirement shall be placed for jute bags in a single requisition and in case jute mills are not able to provide jute bags as per requisition, then the Department of Food and Public Distribution may allow dilution of the packaging material upto ten per cent.

2. In case of any shortage or disruption in supply of jute packaging material or in case of any other contingency or exigency, the Ministry of Textiles may, in consultation with the user Ministries concerned, allow further dilution of packaging material up to a maximum of thirty per cent of the percentage specified in column (3) of the Schedule above.

3. Exemption from compulsory use of jute packaging material may be allowed in the following cases, namely:-

a) sugar packed for export but which could not be exported on the basis of an assessment and recommendation by Department of Food and Public Distribution;

b) sugar fortified with vitamins;

c) packaging for export of the commodities;

d) small consumer packages of ten kilograms and below for foodgrains and twenty-five kilograms and below for sugar;

e) bulk packaging of more than one hundred kilograms; and

f) consumer HDPE/PP packages of quantity of above ten kilograms and upto twenty-five kilograms for packing of foodgrains for distribution under the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013) provided such bags are cost competitive as compared to jute bags factoring in the subsidy or reimbursement provided by the Government of India for packing of foodgrains.

[F. No. 9/3/2017-Jute]
PUSHPA SUBRAHMANYAM, Spl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2018.03.10 11:08:58 +05'30'